अपील सूचना अधिकार संख्या 16/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपपंजियक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31—07—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.12.2015 के द्वारा चाही गई 3 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में उपपंजियक श्रीगंगानगर द्वारा जबाब दिया गया है कि सूचनांए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से संबंधित है जो उनके द्वारा जान बूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत उन पर 25000रूपये जुर्माना लगाया जावे व उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.12.2015 के द्वारा उपपंजियक एवं लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

1. सरकार व चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषण होने व चुनाव डयूटी लगने के बाद बीएलओ लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कार्य का निष्पादन करते समय मुख्यालय छोडने के लिए जिस चुनाव सेक्टर मजिस्ट्रेट एसडीएम रजिस्टर पदाधिकारी एडीएम या जिला निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है इस बाबत सूचना व चुनाव नियम की इस संबंध में नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. उपरोक्त सम्बन्ध मे (चुनाव डयूटी के दौरान) मुख्यालय छोडने हेतु जिस कार्यालय की अनुमति आवश्यक है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. चुनाव डयूटी के दौरान बीएलओ द्वारा मुख्यालय छोडने हेतू चुनाव कार्यालय अधिकारी से अनुमति की आवश्यकता न होने पर उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उप पंजियक श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 141 दिनांक 10.02.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 192—94 दिनांक 04.01.16 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 192—194 दिनांक 04.01.16 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः—

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु वार निम्न प्रकार है।

1. बिन्दु संख्या 1 की सूचना– लोकसभा/विधानसभा चुनाव कार्यो के निष्पादन करने वाले बीएलओ द्वारा मुख्यालय छोडने सम्बन्धि अवकाश निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में नही है। अवकाश सम्बन्धि सूचना श्रीमान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है।
2. बिन्दु संख्या 2 की सूचना– लोकसभा/विधानसभा चुनाव कार्यो के दौरान बीएलओ द्वारा मुख्यालय छोडने सम्बन्धि अनुमति निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से सम्बन्धित नही है। अनुमति सम्बन्धि सूचना श्रीमान् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) के कार्यालय से सम्बन्धित है।
3. बिन्दु संख्या 3 की सूचना श्रीमान् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 04.01.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

1577-78
18-8-17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजियक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर